प्रकरण आज दिनांक **09.09.2023** को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खण्डपीठ क्रमांक 21 के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीया सहित अधिवक्ता श्री ईशाक मंसूरी उपस्थित।

प्रतिप्रार्थी अनुपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पत्र पर विचार हेतु नियत है।

प्रार्थीया को आवेदन के संबंध में सुना गया।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस आशय का है कि प्रार्थीया और प्रतिप्रार्थी के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी समझौता हो गया है जिससे वह प्रकरण नही चलाना चाहती है। अतः समझौते के आधार पर आवेदन पत्र वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थीया कृष्णा ने प्रतिप्रार्थी महेश के विरूद्ध यह प्रकरण धारा 125 द.प्र.सं. का पेश किया था। प्रार्थीया से मौखिक रूप से पूछे जाने पर उसने बिना किसी भय, दबाव के समझौता होना एवं प्रकरण वापस लिया जाना व्यक्त किया। प्रकरण में प्रार्थीया की ओर से श्री ईशाक मंसूरी अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है।

चूंकि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है, ऐसे में हस्तगत विविध आपराधिक प्रकरण को लंबित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार प्रस्तुत विविध आपराधिक प्रकरण समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

(प्रीति पाण्डे)
(पीठासीन अधिकारी)
नेशनल लोक अदालत खंडपीठ कं–21
गरोठ जिला मंदसौर म.प्र.

सदस्य–

1. श्री अंकित शर्मा, **अधिवक्ता**